

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी  
स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



*Handwritten signature/initials*

2023-2024

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक  
चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में  
भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु ई-निविदा  
(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रु. 5000/-  
(रुपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक- 20 / 2023-24

## ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा क्र- 20/2023-24

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	18-12-2023 11-00 AM	10-01-2024 05-00 PM
2	BID SUBMISSION ONLINE	18-12-2023 11-00 AM	10-01-2024 05-00 PM
3	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	12-01-2024 12-30 PM	
4	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	-

ईमेल:- [jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com](mailto:jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com), Fax-07662-242104

संपर्क:- 07662-242104, 9617348113, 9644695933, 7747078415,

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची-  
पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

- अमानत राशि रुपये 350000.00 (तीन लाख पचास हजार रु) ऑनलाईन जमा की रसीद।
- मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased) सभी पृष्ठ
- फर्म/संस्था की स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति। (असेसमेंट ईअर 2022-23 एवं 2023-24)
- 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित मूल नोटराईज्ड घोषणा पत्र
- पैन कार्ड।
- जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
- वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र (50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2022-23)
- खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस कार्यालय में भौतिक रूप से जमा किए जाने वाली सामग्री:-
  - पारदर्शी कंटेनरों में सूखी सामग्रियों का नमूना एवं उसकी सूची लिफाफा जिसे ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- टीप- मांगे गए अनिवार्य दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज कम पाए जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।



## तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे। पृष्ठ क. दर्शाये		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	अमानत राशि रु. 350000.00 ऑनलाईन जमा करने की रशीद की छायाप्रति संलग्न				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित(ऑनलाईन क्रय)				
3.	फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(असेसमेंट ईअर 2022-23 एवं 2023-24)				
5	100.00 राशि के नॉन जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः				
6	पैन कार्ड की छायाप्रति				
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति				
8.	वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र(50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2022-23				
9.	खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस				
10.	बन्द लिफाफे में पारदर्शी कंटेनरों में सूखी सामग्री के नमूने की सूची।				

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर .....

निविदाकर्ता का नाम .....

1. मोबाइल नं., बैंक का नाम एवं पता, खाता संख्या, आई.एफ.एस.कोड आदि (स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील .....



## ई-निविदा के नियम एवं शर्तें

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु वर्ष 2023-24 के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। ऑनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रु. 5000.00 निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 350000.00 (तीन लाख पचास हजार रु) ऑनलाईन जमा करनी होगी। जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होंगी उनसे परफार्मेंस गारंटी के रूप में रु. 350000.00 (तीन लाख पचास हजार रु) अथवा निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो अनुबंध करते समय डी.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। डी.डी. पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. **प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।**
5. कृपया प्राइस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर अपलोड करना होगा।
7. चिकित्सालय की निविदा समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को कारण बताकर अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि निविदा समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. निविदा अवधि एक वर्ष अथवा आगामी नवीन निविदा लागू होने तक प्रभावशील होगी। यदि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कोई योजना लागू की जाती है तो योजना के अनुसार ठेका अवधि बीच में भी समाप्त की जा सकती है।
10. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि निविदा समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
11. समस्त खाद्य सामग्री का प्रदाय चिकित्सालय की पाकशाला भण्डार (किचेन) पर अधिकृत किये गये पदाधिकारी के लिखित/मौखिक/दूरभाष पर दिये गये आदेशानुसार प्रतिदिन निर्धारित समय के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रदाय की जाने वाली पैक सामग्री में पैकिंग की तिथि, वजन, एम.आर.पी. एवं उपयोग की तिथि की जानकारी निर्माता द्वारा मुद्रित/अंकित होना अनिवार्य है। बिना इनके सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की निविदा समिति के पास सुरक्षित है।

13. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पश्चात किया जावेगा। जिसमें समय भी लग सकता है। किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
14. निविदाओं के संबंध में निविदा समिति का निर्णय सभी निविदाकारों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
15. सामग्री की मात्रा चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की संख्या के अनुरूप घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
16. प्रदाय की जाने वाली समस्त खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये। जिन सामग्री में एगमार्क उपलब्ध हो एगमार्क की ही दी जावें। प्रदाय सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच हॉस्पिटल में पदस्थ अधिकारियों एवं फूड सेफ्टी ऑफिसर/स्टाफ द्वारा समय-समय पर की जावेगी। यदि गुणवत्ता में कमी पाई जायेगी तो अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
17. यदि निविदाकार मांग अनुसार सामग्री की पूर्ति करने में हीलाहवाली करता है, सामग्री गुणवत्ता पूर्ण नहीं पाई जाती है तो वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. प्रदाय की जाने वाल खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिये। खराब सामग्री के कारण चिकित्सालय में भर्ती किसी भी मरीज को किसी प्रकार का नुकसान होता है तथा जांच में सिद्ध पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इस पर वैधानिक कार्यवाही भी निविदाकार के विरुद्ध की जावेगी।
19. खाद्य सामग्री की दरें निविदा स्वीकृति के समय तहसीलदार रीवा से प्राप्त दरों की सीमा के भीतर ही स्वीकार होंगी। तहसील दर से उपर की दरें प्राप्त होने पर न्यूनतम निविदाकार को तहसील दर पर ही खाद्य सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा अथवा उससे नीचे की दर मान्य होगी पर प्रदाय की जाने वाले सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहियें।
20. निविदाकार के पास खाद्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी खाद्य लायसेंस होना अनिवार्य है।
21. सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र



## —घोषणा—पत्र—

(100/- रूपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये )

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्स्ट्रक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/षासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे/संस्था के उपर राज्य शासन/केन्द्र शासन को देय कोई भी कर बकाया नहीं है।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील )

नाम- .....

पूरा पता- .....

फोन एवं मोबा. न.- .....

गवाहों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर

1.

2.

3.

## लिफाफा-ए नमूना हेतु

क्र.	सूखी सामग्री का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

स्थान :-  
दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर  
एवं सील



# प्राइस बिड केवल ऑनलाईन भरा जावे।

प्रदाय की जाने वाली सामग्री गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए।

क्र	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	दर अंकों में	GST	Total
	<u>प्रवर्ग-1</u>		प्रति इकाई( क्विंटल/ नग/टिन आदि)		
1	गेहूं	400 क्विंटल			
2	गेहूं पिसा हुआ आटा 25 किलो की बोरी	500 क्विंटल			
3	चावल	350 क्विंटल			
4	दाल अरहर छिल्कारहित	200 क्विंटल			
5	दाल मूंग छिल्कायुक्त	75 क्विंटल			
6	मसूर खडी	01 क्विंटल			
7	चना दाल	15 क्विंटल			
8	सफेद तिल	03 क्विंटल			
9	गेहूं की पिसाई(गेहूं की पिसाई दुलाई सहित)	400 क्विंटल			
10	बेसन(चना)	02 क्विंटल			
	<u>प्रवर्ग 2</u>				
1-	हल्दी पिसी	06 क्विंटल			
2-	धनिया खडी	06 क्विंटल			
3-	जीरा खडा	03 क्विंटल			
4-	मैथी खडी	02 क्विंटल			
5-	नमक पिसा आयोडीन युक्त	35 क्विंटल			
6-	शक्कर रबेदार	30 क्विंटल			
7-	गुड सूखा पुराना	30 क्विंटल			
8-	भुंजा चना	02 क्विंटल			



9-	मूंगफली दाना	10 क्विंटल			
11-	लाई मुरमुरा	02 क्विंटल			
12-	सूजी	01 क्विंटल			
13-	पोहा	30 क्विंटल			
14-	सोंठ	01 क्विंटल			
15-	चायपत्ती	03 क्विंटल			
16-	दूध पावडर (अमूल)	01 क्विंटल			
	<u>प्रवर्ग 3</u>				
1-	बैंगन	20 क्विंटल			
2-	लौकी	30 क्विंटल			
3-	कोहडा हरा	30 क्विंटल			
4-	आलू	30 क्विंटल			
5-	फूल गोभी	10 क्विंटल			
6-	पत्ता गोभी	10 क्विंटल			
7-	टमाटर पका	30 क्विंटल			
8-	पालक भाजी	10 क्विंटल			
9-	परवल	05 क्विंटल			
10-	बरबटी	05 क्विंटल			
11-	भिण्डी	05 क्विंटल			
12-	प्याज	30 क्विंटल			
13-	लहसुन	02 क्विंटल			
14-	मूली	05 क्विंटल			
15	गाजर	05 क्विंटल			
16	खीरा	20 क्विंटल			
17	ककडी	05 क्विंटल			
18-	गिलकी(रिरूआ)	10 क्विंटल			
19-	चुकंदर	05 क्विंटल			
20-	हरी मिर्च	02 क्विंटल			
21	हरा धनिया				
	<u>प्रवर्ग-04</u>				
1-	मुसमूमी(1 किलो में 6 से 8 पीस)	200 क्विंटल			

2-	सेव फल(1 किलो में 6 से 8 पीस)	200 क्विंटल			
3-	संतरा (1 किलो में 6 से 8 पीस)	200 क्विंटल			
4-	केला पका(1 किलो में 6 से 8 पीस)	500 क्विंटल			
5-	पपीता	01 क्विंटल			
6-	डबल रोटी	05 क्विंटल			
7-	अण्डा (मुर्गी)	25000 नग			
8-	पंचमेवा(नारियल छोहारा मखाना किशमिश पोस्तदाना)	10 क्विंटल			
9-	बिस्कुट पारले जी बंद पैकेट	100 क्विंटल			
10-	बिस्कुट ब्रिटानिया बंद पैकेट	100 क्विंटल			
10-	टोस्	20 क्विंटल			
	<b>प्रवर्ग 5</b>				
1-	दूध 5 प्रतिशत चिकनाई	50000 लीटर			
2-	पनीर	01 क्विंटल			
3-	मटठा	02 क्विंटल			
	<b>प्रवर्ग 6</b>				
1-	खाद्य तेल रिफाइनड एगमार्ग 15 लीटर	300 टिन			
	1- फॉर्चून				
	2- सरसों तेल पतंजली				
	3- सरसों तेल सिकका				
	4- सरसों तेल तेज				
2-	नारियल तेल सीलबंद एकमार्क	50 लीटर			
3-	देशी घी सीलबंद एकमार्क	1500 लीटर			
	1- अमूल				
	2- कृष्णा				
<b>प्रवर्ग 7 कोविड मरीजों हेतु</b>					
	1- डिस्पोजेबल थाली 8 खंथा ढक्कनयुक्त	20000 नग			



2- डिस्पोजेबल थाली 5 खंदा ढक्कनयुक्त	15000 नग			
3- डिस्पोजेबल कटोरी मीडियम साईज	10000 नग			
4- डिस्पोजेबल गिलास	60000 नग			
5- डिस्पोजेबल कप चाय हेतु	10000 नग			
6- रबर बैंड बडे साईज में	100 पैकेट			
7- पीने हेतु बंद बोतल में पानी 1 लीटर पानी	60000 लीटर			
किनले				
बिस्लरी				
सोनांचल जल				
8- सिल्वर पेपर	200 बंडल			
9- डिस्पोजेबल चम्मच	10000 नग			

नोट:-उपरोक्त सामग्री की मात्र एक वर्ष के लिये अनुमानित है। चिकित्सालय मे भर्ती मरीजों की संख्या के अनुरूप सामग्री घटाई एवं बढ़ाई जा सकेगी।

स्थान :-  
दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर  
एवं सील